(8)

समक्ष माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

हरीदास तनय श्री रामकिशोर कुर्मी, निवासी–ग्राम अटरिया, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0) II/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4632

...................**निगरानीकर्ता**

बनाम

गुलाब प्रसाद तनय बेनी माधव कुर्मी, निवासी–ग्राम अटरिया, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0)

...............**गैरनिगरानीकर्ता**

श्री रामाकान्त पटेल अधि. द्वारा आज दि. 24-11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट

प.दि. 14-12-17

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हनुमना के प्रकरण क्र0 183/अ6अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.11.17।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

M.F. 14-12-17

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:–

1. यह कि ग्राम अटरिया, तहसील हनुमना स्थित आ0ख0नं0 108/2 रकवा 0.085 हे0 आवेदक की पुस्तैनी आराजी है, उक्त आराजी के अलावा भी आवेदक की अन्य पैत्रिक भूमियां थी, जिनके राजस्व इन्द्राज आवेदक के पूर्व रामकिशोर व अन्य पट्टेदारों के नाम अंकित हैं।

2. यह कि उक्त भूमि के अंश रकवा 0.035 हे0 के अंश भाग 0.07 डि0 आवेदक के स्वत्व स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है, जिंस पर आवेदक का रहायसी मकान मौजूद है, मौंके पर उक्त भूमि आवेदक के आवादी निस्तार की भूमि है, जिसके राजस्व अभिलेख में आवादी निस्तार दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र आवेदक

XXX'X(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4632 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–11–17 के विरूद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया है । अनुविभागीय अधिारी ने अपने आदेश में धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार करने के समुचित कारण दिए गए हैं । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अभी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	